



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर

प्र. क्र. /2011 अवमानना याचिका M - ४२७ - PBR/2011

श्रीमति शांतिबाई पत्नि श्री गंगाराम
पुत्री स्व. श्री गनपत निवासी कलाखेडी
तहसील वैरसिया जिला भोपाल - प्रार्थिनी

विरुद्ध

- 1 रामगोपाल शर्मा, नायब तहसीलदार
तहसीलदार हुजूर भोपाल
- 2 हरीश पटेल पटवारी हल्का क. 43
तहसीलदार हुजूर भोपाल
- 3 श्रीमति सुमलाबाई पत्नि स्व. श्री रंजीतसिंह
- 4 सुनील पुत्र स्व. श्री रंजीत सिंह
- 5 अनिल नावालिंग पुत्र स्व. श्री रंजीत सिंह
- 6 कविता नावालिंग पुत्री स्व. श्री रंजीत
सिंह क. 3 व 4 सरपरस्ती माँ सुमलाबाई
पत्नि स्व. श्री रंजीत सिंह समस्त
निवासीगण सेमरी वाजयात तहसील हुजूर
जिला भोपाल
- 7 श्रीमति सुनीता देवी सिंह पत्नि विष्णु पाल
सिंह भदौरिया निवासी 37 बाग महामाई
शहर भोपाल
- 8 श्रीमति कमला चौरसिया पत्नि श्री दिनेश
चौरसिया निवासी वी. 1 सूर्या कॉलोनी
कौलार्य रोड भोपाल — प्रतिप्रार्थीगण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 12 अवमानना अधिनियम

श्रीमान महोदय

प्रार्थिनी की ओर से आवेदन निम्नांकित प्रस्तुत है :-

- 1 यहकि प्रार्थिनी एवं प्रतिप्रार्थी क. 3 के पति एवं प्रतिप्रार्थी क. 4 लगायत 6 के पिता स्व. श्री रंजीत सिंह स्व. श्री गनपत सिंह की संतान होकर सगे भाई बहन थे। स्व. श्री गनपत सिंह की पैतृक भूमि सर्वे क. 169, 500/2, 515, 516, 644,

अंगूष्ठा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक मिस. 427-पीबीआर / 2011 [ग्रामिकाई/रामगोप्ता] जिला भोपाल

| स्थान दिनांक | तथा कार्यवाही तथा आदेश | पदाकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|-----------------|--|---|
| 06.10.16 | <p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। यह न्यायालयीन अवमानना का प्रकरण दिनांक 17-3-11 को प्रस्तुत हुआ है, तब से लंबित है और इसमें आवेदक अथवा उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हो रहे हैं। यह न्यायालयीन अवमानना का प्रकरण इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27-11-2009 को पारित स्थगन आदेश की अवहेलना के कारण प्रस्तुत किया गया है, परन्तु आवेदन पत्र के साथ वादग्रस्त आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः यह न्यायालयीन अवमानना का प्रकरण विधि के प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं आवेदक द्वारा रुचि नहीं लिये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।</p> |  <p>अध्यक्ष</p> |